Published on 11-11-2018 in the Times of India & Dainik Jagran

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी0सी0 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) उत्तर प्रदेश के वायु प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत नोटिस

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-सा.का.नि. 96(अ) दिनांक 29 जनवरी, 2018 तथा अधिसूचना संख्या-सा.का.नि. 263(अ) दिनांक 22 मार्च, 2018 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 के द्वारा क्रमश: औद्योगिक ब्वायलर तथा 05 उद्योग सेक्टर यथा: सिरेमिक, फाउण्ड्री (फ्यूल आधारित फर्नेस), ग्लास, लाइम क्लिन, रिहीटिंग फर्नेस हेतु SO_2 तथा NO_x उत्सर्जन के मानक निर्धारित किए गए हैं। औद्योगिक ब्वायलर्स हेतु SO_2 तथा NO_x उत्सर्जन के मानक प्राप्त किए जाने हेतु बोर्ड द्वारा पूर्व में भी दिनांक 19.06.2018 को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निर्देशित किया गया था। अभी तक कतिपय उद्योगों द्वारा अनुपालन आख्या बोर्ड को प्राप्त नही करायी गयी है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त 05 उद्योग सेक्टर तथा समस्त ब्वायलर वाले उद्योग, जिनके द्वारा अनुपालन आख्या बोर्ड को उपलब्ध नहीं करायी गयी है, को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निर्देश दिए जाते है कि 15 दिन के अन्दर SO_2 तथा NO_x उत्सर्जन के निर्धारित मानकों की प्राप्ति हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना करें एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की अनुश्रवण आख्या बोर्ड को प्रस्तुत करें।

उपरोक्त दी गयी विधिक सूचना के माध्यम से उद्योगों को नोटिस प्रदत्त की जा रही है तथा इसका समयानुसार अनुपालन न किए जाने की दशा में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के दोषी इकाइयों के विरूद्ध वायु अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही की जाएगी।

सदस्य सचिव